P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधाना.डीपीसी / 01–02 से 17–18 / पदस्थापन / 2018 दिनांक 31.05.2018 द्वारा बबीता (व.क्र.1956 / 2013–14), प्रधानाध्यापक रामावि–क्यामसर, झुन्झुनु को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–29 जी.बी. (ए) शिवपुरी, श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध बबीता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं 4488 / 2018 बबीता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 4488 / 2018 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2018 द्वारा अपीलार्थिया को अपनी व्यथा के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 03.01.2019 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अपीलार्थिया से उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) पारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थिया को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह विशेष श्रेणी (विधवा वर्ग) की महिला अभ्यर्थी है और परामर्श शिविर दिनांक 31.05.2018 के समय चूरू और झुन्झनूं जिले में प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थिया के अनुसार उसे उसके गृह क्षेत्र से दूरस्थ स्थान हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। प्रार्थिया द्वारा अपना पदस्थापन / समायोजन अपने गृह जिले चूरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राउमावि मून्दीताल, चूरू या राउमावि गुलपुरा, चूरू अथवा राउमावि नूहन्द जिला चूरू में किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / नियमों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया के विशेष श्रेणी (विधवा) कार्मिक होने एवं उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थिया बबीता, प्रधानाचार्या राउमावि 29 ज़ी.बी. (ए), शिवपुरी, श्रीगंगानगर का पदस्थापन / समायोजन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय नूहन्द, राजगढ़ जिला चूरू किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / बबीता / अपील / 4488 / 2018 दिनांक 07.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर / चूरू संभाग, बीकानेर / चूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, गंगानगर / चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) गंगानगर / चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक / याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य रिव्यू डीपीसी/01–02 से 17–18/2018 दिनांक 28.5.2018 द्वारा विमलेश डूडी प्र.अ. को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग राबाउमावि–सीकरी जिला भरतपुर में पदस्थापित किया गया था। श्रीमती विमलेश डूडी द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 2349/2018 विमलेश डूडी बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई थी जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश प्रदान किये गए थे जिसकी अनुपालना में इनके अभ्यावेदन को विभागीय आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा निस्तारित किया गया।

श्रीमती विमलेश डूडी द्वारा उक्त अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने के उपरान्त एक अन्य अपील संख्या 3299/2018 दायर की गई जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थिया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यदि विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उसका समायोजन अलवर जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राउमावि देसूला, राउमावि रायबका, राउमावि पृथ्वीपुरा अथवा राउमावि शामदा, अलवर में से किसी एक पद पर कर दिया जाता है तो वह उक्त अपील को प्रत्याहरित कर लेगी।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों, नियमों व परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया के विशेष श्रेणी (विधवा) में होने एवं उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थिया विमलेश डूडी का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसूला, रामगढ जिला अलवर किया जाता है। विमलेश डूडी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विमलेश डूडी/अपील/3299/2018 दिनांक 07.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) भरतपुर/अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)